भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2907
उत्तर देने की तारीख : 18.03.2025

एस्पर्जर सिंड्रोम

2907. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक समावेशिता और एस्पर्जर सिंड्रोम की समझ में सुधार लाने में प्रभावशीलता और जागरूकता पहल का आकलन करने के लिए मौजूद तंत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार कार्यस्थल पर समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रम शुरू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निजी संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करना शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर) सहित सभी परिभाषित दिव्यांगताओं को अपने राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई), समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित कैलेंडर दिवसों के रूप में प्रतिवर्ष मनाता है। इन आयोजनों के व्यापक दस्तावेजीकरण और प्रभाव आकलन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक जोटफॉर्म - आधारित रिपोर्टिंग तंत्र विकसित किया है। इसके लिए भाग लेने वाले सभी संस्थानों को फोटोग्राफ, आयोजित गतिविधियों के विवरण सहित, आयोजन के पूर्व और पश्चात की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

ये रिपोर्टें सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार, प्रेस विज्ञप्तियों तथा विभाग और उससे जुड़े संस्थानों द्वारा समन्वित प्रचारात्मक अभियानों का आधार बनती हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रासंगिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जागरूकता पहलों को बढ़ाने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के साथ मिलकर काम करता है।

(ख): दिव्यांगजनों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर, उपयोगी और समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनाने के लिए तथा उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएपी-एसडीपी के तहत, 15 से 59 वर्ष की आयु समूह के एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर) सहित दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनएपी-एसडीपी योजना के तहत विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये सरकारी और गैर-सरकारी संगठन देश भर में कौशल प्रदान करते हैं।

विभाग ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीएम-दक्ष पोर्टल- डीईपीडब्ल्यूडी विकसित किया है। यह पोर्टल उन दिव्यांगजनों तथा दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण संगठनों और नियोक्ताओं/जॉब एग्रीगेटर्स के लिए वन-स्टॉप डिजिटल गंतव्य है जिन्हें कौशल और रोजगार की आवश्यकता है।

(i) दिव्यांगजन कौशल विकास:- इस पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजन रोजगार सेतु:- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए नौकरी देने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है । यह प्लेटफॉर्म पूरे भारत में दिव्यांगजनों के साथ-साथ निजी कंपनियों में रोजगार/आय के अवसरों पर जियो-टैग आधारित सूचना प्रदान करता है।

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थान, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर) पर उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) कार्यक्रमों सहित जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्थानीय प्रशासनों, राज्य और जिला प्रशासन और दिव्यांगता पुनर्वास में विशेषज्ञता वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय एस्पर्जर दिवस (18 फरवरी, 2025) को, राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) ने अपनी ई-सूचना श्रृंखला - 16 के तहत 'एस्पर्जर एंड एडल्डहुड' शीर्षक से एक वेबिनार आयोजित किया था। इस सत्र में, विशेष शिक्षा के एक विशेषज्ञ के नेतृत्व में एस्पर्जर सिंड्रोम ग्रस्त व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों और समावेशन की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस वेबिनार में सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें 107 व्यक्तियों ने गूगल मीट और यूट्यूब के जरिए अतिरिक्त पहुँच के माध्यम से सहभागिता की।

ये प्रयास एस्पर्जर सिंड्रोम ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जागरूकता बढ़ाने, प्रारम्भिक हस्तक्षेप करने और कार्यस्थल में उनकी समावेशिता को लाने में सामूहिक रूप से योगदान देते हैं ।

******